

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर
Siddharth University, Kapilvastu, Siddharthnagar



प्रवेश निर्देशिका

(शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए)

Admission Brochure

(For the Academic Session 2021-22)

विश्वविद्यालय परिसर में

प्रवेश-2021 (स्नातक / परास्नातक पाठ्यक्रम)

(सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम एवं सीटें)

क्रमांक	कक्षा / पाठ्यक्रम	निर्धारित सीट
1	बी0काम0	120
2	बी0बी0ए0	60
3	बी0ए0	400
4	एम0काम0	120
5	एम0ए0 (हिन्दी)	60
6	एम0ए0 (अर्थशास्त्र)	60
7	एम0ए0 (मनोविज्ञान)	60
8	एम0ए0 (अंग्रेजी)	60
9	एम0ए0 (संस्कृत)	60
10	एम0ए0 (समाजशास्त्र)	60
11	एम0ए0 (लोकप्रशासन)	60
12	एम0ए0 (राजनीति विज्ञान)	60
13	एम0ए0 (प्राचीन इतिहास)	60
14	एम0ए0 (इतिहास)	60
15	एम0एस0सी0 (भौतिक विज्ञान)	20
16	एम0एस0सी0 (बायोटेक्नालजी)	20

**विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में
प्रवेश परीक्षा-2021 (स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रम)
(सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम एवं सीटें)**

क्रमांक	कक्षा/पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम संचालन करने वाले महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का स्वरूप	निर्धारित सीट
1	बी0पी0एड0	जवाहर लाल नेहरू स्ना0 पी0जी0कालेज, महाराजगंज	स्ववित्तपोषित	50
		श्रीमती प्रभा देवी पी0जी0 कालेज, मुखलिसपुर रोड, संतकबीरनगर	स्ववित्तपोषित	50
		पं0 सूर्य नारायण चतुर्वेदी महाविद्यालय, नाथनगर, संतकबीरनगर	स्ववित्तपोषित	50
		बाबा पर्वतनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, परवता, विश्वनाथपुर, संतकबीरनगर	स्ववित्तपोषित	50
		पं0 अम्बिका प्रताप नारायण पी0जी0 कालेज, डुमरी, संतकबीरनगर	स्ववित्तपोषित	50
		जी0पी0एस0 स्ना0 महाविद्यालय, खलीलाबाद	स्ववित्तपोषित	50
2	एम0एड0	पं0 अम्बिका प्रताप नारायण पी0जी0 कालेज, डुमरी, संतकबीरनगर	स्ववित्तपोषित	50
		शिवशंकर चतुर्वेदी महाविद्यालय, टुंगपार, संतकबीरनगर	स्ववित्तपोषित	50
		स्वर्ण प्रभा पी0जी0 कालेज, आनन्दनगर फरेन्दा, महाराजगंज	स्ववित्तपोषित	50
		श्रीमती प्रभा देवी पी0जी0 कालेज, मुखलिसपुर रोड, संतकबीरनगर	स्ववित्तपोषित	50
3	बी0एस-सी0(कृषि)	चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय, पद्मापुर, पाण्डवनगर, बस्ती	स्ववित्तपोषित	240
		राम मनोहर लोहिया, महाविद्यालय, इटवा, सिद्धार्थनगर	स्ववित्तपोषित	120
		विमला विक्रम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पचपेडवा, बलरामपुर	स्ववित्तपोषित	120
4	एम0एस-सी0 (कृषि) शस्य विज्ञान	चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय, पद्मापुर, पाण्डवनगर, बस्ती	स्ववित्तपोषित	30
5	एम0एस-सी0 (कृषि) कृषि प्रसार	चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय, पद्मापुर, पाण्डवनगर, बस्ती	स्ववित्तपोषित	30
6	एम0एस-सी0 (कृषि) उद्यान विज्ञान	चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय, पद्मापुर, पाण्डवनगर, बस्ती	स्ववित्तपोषित	30

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के सामान्य नियम

(विश्वविद्यालय परिसर हेतु)

1. विश्वविद्यालय से स्वीकृत छात्र संख्या पर ही प्रवेश अनुमन्य होगा।
2. प्रत्येक पाठ्यक्रम (स्नातक/स्नातकोत्तर) के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या पूर्व निर्धारित है।
3. सभी संकायों में निम्नलिखित अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज कन्सिडरेशन) देय होगा—
 - (i) सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों से योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के लिए 2 प्रतिशत।
 - (ii) स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय आवासीय खण्ड से योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत।
 - (iii) महिला अभ्यर्थियों के लिए 2 प्रतिशत।
 - (iv) एन.सी.सी. में 'बी' अथवा 'सी' सर्टिफिकेट प्राप्त छात्र/छात्राओं के लिए 2 प्रतिशत।
 - (v) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं कम से कम एक विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को 2 प्रतिशत। प्रमाण पत्र कुलपति द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही यह देय होगा।
 - (vi) स्काउट/रोवर्स रेन्जर्स का अधिप्रतिनिधित्व नियमानुसार अनुमन्य होगा।
 - (vii) सेवा निवृत्त/मृतक शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अविवाहित पुत्र/पुत्री एवं पत्नी/पति को प्रवेश में अधिकतम अधिप्रतिनिधित्व सभी मानकों को मिलाकर 10 प्रतिशत अनुमन्य है।
 - (viii) सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पाल्यों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में 10 प्रतिशत का अधिप्रतिनिधित्व अनुमन्य होगा।

टिप्पणी:

उपयुक्त अधिप्रतिनिधित्व दो से अधिक एक साथ नहीं जुड़ेगा। किसी अभ्यर्थी को किन्हीं दो छूटों के आधार पर 7 प्रतिशत से अधिक अधिप्रतिनिधित्व देय नहीं होगा। 6 (vii) एवं 6 (viii) के लिए यह अधिभार सीमा 10 प्रतिशत होगी।

4. राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक कक्षा में कोटा निर्धारित है। इसके अन्तर्गत प्रवेश कुलपति जी की सहमति से होगा। अभ्यर्थी प्रार्थना पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर इंगित करें। बाद में कोई प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। राष्ट्रीय या राज्य स्तर के खिलाड़ी जो खेलकूद के आधार पर प्रवेश लेने के इच्छुक हैं उस अभ्यर्थी का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न संकायों तथा विभागों में नियमानुसार स्थान निर्धारित है।

5. **आरक्षण :** नवीन शासनादेशों के अधीन होगा।

(अ) ऊर्ध्व आरक्षण (केवल उत्तर प्रदेश के अधिवासियों (Domicile) के लिए) :

1. अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत
2. अनुसूचित जनजाति	2 प्रतिशत
3. अन्य पिछड़ा वर्ग (इसके लिए क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी अर्ह नहीं हैं)	27 प्रतिशत
4. एल-एल0 बी0 (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) में महिला अभ्यर्थियों के लिए	20 प्रतिशत
5. अति निर्धन सवर्ण	10 प्रतिशत

इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को अपने जिले के सक्षम अधिकारी यथा जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी / मजिस्ट्रेट / तहसीलदार का अद्यतन अधिवास (Domicile) प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, अन्यथा आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है कि उनके जाति प्रमाण पत्र अद्यतन हों तथा राज्य सरकार के नवीनतम राजाज्ञा के अन्तर्गत क्रीमीलेयर में न होने का स्पष्ट उल्लेख सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया हो। अग्रेत्तर सूच्य है कि प्रवेश के समय शासन के आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ब) क्षैतिज आरक्षण :

1. शारीरिक रूप से विकलांग	3 प्रतिशत
2. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (पुत्र / पुत्री / पौत्र / प्रपौत्र / पौत्री / प्रपौत्री)	2 प्रतिशत
3. भूतपूर्व सैनिक एवं युद्ध में शहीद, युद्ध में अपंग रक्षा कर्मी अथवा उनके पाल्य	2 प्रतिशत
4. करगिल युद्ध में शहीद रक्षा कर्मी के आश्रित	1 प्रतिशत
5. कश्मीर विस्थापित	5 प्रतिशत
6. कार्यरत सैनिक एवं उनके पाल्य (पुत्र / पत्नी / पुत्र / पुत्री)	1 प्रतिशत

अग्रेत्तर सूच्य है कि शासन के आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन शासनादेशों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

(स) शासनदेश संख्या कार्मिक अनुभाग-2 संख्या-3/2019/4/12002/का-2/19 टी0 सी0-।। दिनांक: 14 मार्च, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के अधिवासियों (UP Domicile) के लिए अनुमन्य होगा।

(द) अधिसंख्य (सुपरन्यूमरी) आरक्षण :

1. विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्य (पति / पत्नी / पुत्र / पुत्री) के स्नातक स्तर की कक्षाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण कुल निर्धारित संख्या का 10 प्रतिशत है तथा किसी भी पाल्य का प्रवेश बिना परीक्षा में सम्मिलित हुए नहीं किया जायेगा। यह प्रवेश आरक्षण नियमों के तहत होगा, कुल स्थान के अन्तर्गत और विषय संयुक्तियाँ उनके प्रवेश परीक्षा के अंको के आधार पर मिलेगी।
2. विश्वविद्यालय परिसर में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्यों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण कुल निर्धारित सीट का 5 प्रतिशत है तथा किसी भी पाल्य का प्रवेश बिना प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए नहीं किया जायेगा (जिस पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा)।

टिप्पणी :

1. नीचे दी गई तालिका में प्रमाणपत्र के सम्मुख अंकित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र ही मान्य होगा जिसे प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।

प्रमाण पत्र	सक्षम अधिकारी
-------------	---------------

(अ) जाति प्रमाण पत्र(अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि)	जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी /तहसीलदार/मजिस्ट्रेट
(ब) विकलांग प्रमाण पत्र	मुख्य चिकित्साधिकारी
(स) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र	जिलाधिकारी
(द) प्रतिरक्षा प्रमाण पत्र	जिला सैनिक अधिकारी
(य) विश्वविद्यालय के शिक्षको एवं कर्मचारियों के पाल्य	कुलसचिव
(र) सम्बद्ध महाविद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारियों के पाल्य	प्राचार्य, सम्बद्ध महाविद्यालय एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
(ल) कश्मीर विस्थापित व कारगिल शहीद आदि	जिलाधिकारी

2. विश्वविद्यालय के सम्बन्धित संकाय/विभाग कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रवेश के लिए अस्थायी रूप से अर्ह प्रवेशार्थियों की सूची प्रकाशित होगी। इसके बाद सम्बन्धित प्रवेशार्थी संकाय/विभाग की प्रवेश समिति के समक्ष अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों (इसमें अन्तिम शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र भी सम्मिलित है) के साथ प्रस्तुत होंगे तथा सम्बन्धित अधिकारी से प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे और निर्दिष्ट तिथि के अन्तर्गत स्टेट बैंक आफ इंडिया की विश्वविद्यालय शाखा में शुल्क जमा करके अपना प्रवेश लेंगे। शुल्क जमा करके एक सप्ताह के अन्दर संकाय/विभाग के छात्र पंजिका में अपना नाम अंकित करा लेंगे अन्यथा उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
3. कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय का नियमित छात्र उस तिथि से माना जायेगा, जिस दिन उसने प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात सम्बन्धित संकाय/विभाग के छात्र पंजिका में अपना नाम अंकित करा लिया हो।
4. प्रवेश समिति किसी भी व्यक्ति का प्रवेश बिना कारण बताये हुए निरस्त कर सकती है।
5. केवल स्नातक प्रवेशार्थियों हेतु योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त तीन वर्ष से अधिक अन्तराल की दशा में किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश नहीं होगा। एक वर्ष के अन्तराल पर 5 प्रतिशत एवं दो वर्ष के अन्तराल पर 7 प्रतिशत तथा तीन वर्ष के अन्तराल पर 10 प्रतिशत की कटौती के उपरान्त प्रवेश लिया जायेगा। सेवारत सैन्य कर्मियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के प्रवेश में यह नियम लागू नहीं होगा।
6. विश्वविद्यालय की किसी कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हो जाने पर अथवा असफल रह जाने या रोके जाने पर किसी छात्र को विश्वविद्यालय की उस कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं मिल सकेगा। **परीक्षा में सम्मिलित/असफल छात्रों को भूतपूर्व छात्र होने की सुविधा उपलब्ध है।**
7. ऐसे अभ्यर्थी जो किसी संकाय के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के उपरान्त परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं या परीक्षा छोड़ देते हैं या परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन नहीं करते हैं तो उन्हें दूसरे सत्र में उसी कक्षा/संकाय में पुनः संस्थागत प्रवेश नहीं दिया जायेगा। लेकिन यदि वे किसी दूसरे कक्षा/संकाय में प्रवेश हेतु आवेदन करते हैं तो शपथ पत्र के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा। परन्तु ऐसे छात्र/छात्रा वर्ष अन्तराल के कारण विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव लड़ने के लिए अर्ह नहीं होंगे।
8. विश्वविद्यालय परिसर की किसी कक्षा में किसी महाविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय से स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश नहीं होगा। यह प्रवेश महाविद्यालयों में लिया जा सकता है।

अर्हता संबंधी नियम

1. स्नातक में प्रवेश हेतु 03 वर्ष तथा परास्नातक में प्रवेश हेतु अधिकतम 05 वर्ष का अंतराल अनुमन्य होगा। योग्यता प्रदायी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के कुल प्राप्त अंको में नियमानुसार अधिकतम अंक क्रमशः 10, 7, 5, 2 एवं 2 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।
2. जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2021 से पूर्व योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें उपर्युक्त अन्तराल के स्पष्टीकरण हेतु नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र अथवा संतोषजनक साक्ष्य प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।
3. प्रवेश सम्बन्धी समस्त जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाइट <http://suksn.edu.in> पर देखें।
4. प्रवेश परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के कम से कम 35 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 15 प्रतिशत अंक पाने पर ही श्रेष्ठता क्रम के अनुसार उनके प्रवेश पर विचार किया जायेगा।

चयन प्रक्रिया व प्रवेश

1. न्यूनतम अर्हता वाले प्रवेश परीक्षा में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों का अस्थाई प्रवेश उनके परीक्षा के प्राप्तांक अनुमन्य अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज) के आधार पर निर्मित सूचकांक श्रेष्ठताक्रम एवं उपलब्ध सीटों के आधार पर आरक्षण नियमों के अनुसार होगा।
2. विश्वविद्यालय इसी सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को समाचार पत्रों तथा वेबसाइट <http://suksn.edu.in> के माध्यम से सूचित करेगा।
3. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को विभागीय/महाविद्यालय की प्रवेश समिति के समक्ष समस्त मूल प्रमाण पत्रों (अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अधिप्रतिनिधित्व प्रमाण-पत्र, विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित/कश्मीर विस्थापित/कारगिल, विकलांग प्रमाण-पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र/अन्तिम संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, आदि) एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित एवं सत्यापित छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा। जो अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य बोर्ड /संस्थाओं से उत्तीर्ण है (यथा-सी.बी.एस.ई.,आई.सी.एस.ई तथा बिहार बोर्ड) उन्हें उपर्युक्त किसी भी प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश देना संभव नहीं होगा।
4. प्रवेश के समय प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा, एतदर्थ प्रवेश पत्र को सम्भाल कर रखें।
5. चयनित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थान पर काउन्सिलिंग व्यवस्था के अन्तर्गत प्रवेश हेतु उपस्थित होकर अपने समस्त आवश्यक मूल अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात् प्रवेश कार्ड प्राप्त कर लेना होगा निर्धारित प्रवेश शुल्क की सूचना अभ्यर्थियों को यथा समय दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को प्रवेश नहीं लेता है तो प्रवेश हेतु उसका चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
6. चयनित अभ्यर्थी को आवश्यक शुल्क जमा करके सम्बन्धित संकाय कार्यालय एवं विभाग में अपना नाम पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
7. किसी भी संवर्ग (Category), उपवर्ग (Sub-Category) या भारांक (Weightage) का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रवेश के समय मूल रूप से अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी प्रवेश से वंचित हो जायेगा। बाद में किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी द्वारा फार्म भरने में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेवार नहीं होगा।

9. किसी भी दशा मे एक पाठ्यक्रम में पंजीकृत आवेदन पत्र दूसरे पाठ्यक्रम में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।
10. अभ्यर्थी को इस आशय की घोषणा करनी होगी कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक वाद नहीं है तथा भविष्य में अगर कोई एफ.आई.आर दर्ज होगा तो उसका प्रवेश निरस्त समझा जायेगा।
11. आवेदक द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित आवेदन पत्र में बाद में कोई भी परिवर्तन संवर्ग(Category), उपवर्ग (Sub- Category) आदि में नहीं किया जायेगा।
12. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को समस्त मूल प्रमाण पत्र को प्रवेश हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में प्रवेश हेतु चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
13. विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है।
14. अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष के भीतर का जाति प्रमाण-पत्र एवं अर्हतादायी परीक्षा के उत्तीर्ण होने के बाद का चरित्र प्रमाण-पत्र अवश्य लाना होगा।
15. प्रवेश परीक्षा में शामिल होने हेतु प्रवेश पत्र (Admit card) अभ्यर्थी को स्वतः इण्टरनेट से डाउनलोड करना होगा।
16. विभिन्न विषयों की प्रवेश परीक्षा की तिथियाँ विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेंगी।
17. प्रवेश पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।
18. प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी समस्त प्रपत्र/अभिलेख प्रवेश परीक्षा समाप्त होने की तिथि से केवल 6 माह तक ही सुरक्षित रखा जायेगा।
19. विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश हेतु आवेदनपत्र केवल विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर भरा जायेगा। सम्पूरित आवेदन पत्र की प्रति विश्वविद्यालय को भेजना नहीं है। छात्र सम्पूरित आवेदन पत्र की प्रति मय चालान सहित अपने पास सुरक्षित रखेगा। प्रवेश के समय प्रवेश हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

शुल्क विवरण (सत्र 2021-22)

क्र. स.	मद	बी0ए0 / बी0एस0-सी0 / बीकाम0 / बी0बी0ए0			एम0ए0 / एम0सी-सी0 / एम0काम0	
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
1	विकास शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	नामांकन	150.00	—	—	—	—
3	पुस्तकालय	100.00	100.00	100.00	150.00	150.00
4	परीक्षा शुल्क	1215.00	1200.00	1200.00	1300.00	1100.00
5	अंक पत्र	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	पंखा	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7	कक्षा शुल्क	144.00	144.00	144.00	180.00	180.00
8	प्रयोगात्मक शुल्क	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00
9	चुनाव शुल्क	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
10	महंगाई शुल्क	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00
11	उपाधि शुल्क	00.00	00.00	00.00	00.00	300.00
12	रोवर्स रेन्जर शुल्क	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
13	परिचय पत्र शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
14	साइकिल शुल्क	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
15	युनियन शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
16	डेलीगेशी शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
17	पत्रिका शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
18	क्रीडा शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
19	निर्धन छात्र सहायता शुल्क	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
20	मेडिकल शुल्क	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
21	काशनमनी शुल्क	150.00	—	—	150.00	—
	प्रयोगात्मक सहित कुल शुल्क	2592.00	2277.00	2577.00	2613.00	2763.00
	प्रयोगात्मक सहित कुल शुल्क	2544.00	2229.00	2529.00	2630.00	2536.00

नोट—

1. एम0ए0 / एम0एस0-सी0 / एम0काम0 में प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में द्वितीय सेमेस्टर एवं तृतीय सेमेस्टर का परीक्षा शुल्क जुलाई माह में लिए जाने वाले शुल्क में निहित है।
2. एम0एस-सी0 (बायोटेक्नोलोजी) प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर एवं द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में रु0 1300.00 परीक्षा शुल्क अलग से लिया जायेगा।
3. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं द्वारा रु0 172.00 मात्र देय होगा।
4. कर्मचारी पाल्यों द्वारा रु0 172.00 मात्र देय होगा।

5.राष्ट्रगौरव शुल्क रु0 15.00 स्नातक परीक्षा में जोडा गया है।

6. दृष्टिबाधित रु0 50.00

नोट:- सभी पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा निर्धारित शुल्क के आधार पर लिया जायेगा, क्योकि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर की अधिसूचना में उल्लेख है कि जब तक इस विश्वविद्यालय का अपना परिनियमावली एवं अध्यादेश तैयार नहीं हो जाता है, तब तक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की परिनियमावली व अध्यादेश लागू होंगे।

विश्वविद्यालय परिसर के सत्र 2021-22 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से प्रवेश के समय निम्न शुल्क लिया जायेगा।

क्रम सं०	मद का नाम	शुल्क
1	परिचय पत्र शुल्क	रु0 50.00
2	साइकिल शुल्क	रु0 100.00
3	मेडिकल शुल्क	रु0 22.00

प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम

प्रवेश परीक्षा में निम्नलिखित विषयों के प्रश्न होंगे जिनका स्तर इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष होगा। प्रवेश परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जायेंगे जिनका विभाजन निम्नवत् होगा:—

अ. स्नातक प्रवेश हेतु—

(क)	भाषा सम्बन्धी— अंग्रेजी (15 प्रश्न), हिन्दी (15 प्रश्न),	30 प्रश्न
(ख)	सामान्य ज्ञान	15 प्रश्न
(ग)	मानसिक योग्यता	30 प्रश्न
(घ)	वाणिज्य ज्ञान (जिसमें पुस्तकपालन एवं लेखाकर्म) (20 प्रश्न), व्यावसायिक संगठन (15 प्रश्न), अर्थशास्त्र (15 प्रश्न), अधिकोषण (15 प्रश्न), व्यावसायिक भूगोल (10 प्रश्न)	75 प्रश्न

ब. स्नातकोत्तर प्रवेश हेतु—

प्रवेश प्रदायी परीक्षा के प्राप्तांको (मेरिट बनाकर) के आधार पर नियमानुसार प्रवेश किये जायेंगे।

1. प्रवेश परीक्षा में कुल 150 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple choice objective question) पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। उत्तर सही होने पर 3 अंक दिये जायेंगे तथा गलत होने पर 1 अंक की कटौती की जायेगी।
2. भाषा छोड़कर शेष सभी प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे।
3. प्रश्न पुस्तिका के साथ ओ.एम.आर उत्तर पत्र (OMR Answer Sheet) दिये जायेंगे जिस पर उत्तर अंकित करना होगा केवल उत्तर पत्र का ही मूल्यांकन होगा।
4. प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर होंगे जिनमें सही उत्तर का चुनाव कर उत्तर पत्र में उस प्रश्न संख्या के सामने बने विकल्पों के गोलों में से आप द्वारा चयनित विकल्प को काले बालपेन से भरना होगा।

उदाहरणार्थ :

1. रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी चुनिए :
 - a. सृखंलाओं
 - b. श्रृखंलाओं
 - c. सिरखलाओं
 - d. संखाओं

उत्तर : b

2. Select the word with the correct spelling :

- a. Pschology
- b. Shychology
- c. Psychology
- d. Psychlogy

Answer : c

नोट : उपर्युक्त प्रश्न केवल उदाहरणार्थ है एवं इसका वास्तविक प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रवेश परीक्षा शुल्क जमा करने से पूर्व निम्नलिखित पर अवश्य ध्यान दें—

अर्हता:

बी0काम0 एवं बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश:

स्नातक वाणिज्य/ बी0बी0ए0 में प्रवेश हेतु वर्ष 2018 या उसके बाद की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही अर्ह होंगे। वर्ष 2021 में इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित छात्र भी आवेदन पत्र दे सकते हैं।

बी0ए0 (हिन्दी, इतिहास, प्राचीन इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोकप्रशासन, समाजशास्त्र, संस्कृत, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश:

बी0ए0 में प्रवेश हेतु वर्ष 2018 या उसके बाद की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही अर्ह होंगे। वर्ष 2021 में इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित छात्र भी आवेदन पत्र दे सकते हैं। बी0ए0 में प्रवेश हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान प्राचीन इतिहास, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, लोकप्रशासन एवं अर्थशास्त्र विषयों में ही होगा। इनमें से विद्यार्थियों को तीन विषय मुख्य विषय के रूप में लेने होंगे इसके लिये दो समूह निर्धारित हैं। समूह क में हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास एवं राजनीति विज्ञान होंगे तथा समूह ख में प्राचीन इतिहास, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, लोकप्रशासन एवं अर्थशास्त्र विषय होंगे। इनमें से किसी एक समूह से दो विषय लेना अनिवार्य है तथा तीसरा विषय किसी भी समूह अथवा अन्य संकाय से भी लिया जा सकता है। बी0ए0 में प्रवेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के नियमों के अधीन ही होगा, जिसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से संलग्न किए जा रहे हैं।

एम0काम0 पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश:

स्नातकोत्तर वाणिज्य में प्रवेश हेतु वर्ष 2015 या उसके बाद की किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक बी0काम0, बी0बी0ए0 अथवा बी0ए0 अर्थशास्त्र/सांख्यिकी परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही अर्ह होंगे। वर्ष 2021 में स्नातक परीक्षा में सम्मिलित छात्र भी आवेदन पत्र दे सकते हैं। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का अभ्यर्थियों का स्नातक स्तर पर 40 प्रतिशत या उससे अधिक अंको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु अंक सम्बन्धी अनिवार्यता नहीं है।

एम0ए0 (हिन्दी, इतिहास, प्राचीन इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोकप्रशासन, समाजशास्त्र, संस्कृत, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश:

स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु वर्ष 2015 या उसके बाद की किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (बी0ए0) परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही अर्ह होंगे। वर्ष 2021 में बी0ए0 परीक्षा में सम्मिलित छात्र भी आवेदन पत्र दे सकते हैं। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का अभ्यर्थियों का बी0ए0 स्तर पर 40 प्रतिशत या उससे अधिक अंको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों

हेतु अंक सम्बन्धी अनिवार्यता नहीं है। साथ ही स्नातक तृतीय वर्ष में यदि परास्नातक संबंधित विषय नहीं है तो स्नातक में 50% अंक होना अनिवार्य है।

एम0ए0 (लोकप्रशासन) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश:

स्नातकोत्तर लोकप्रशासन में प्रवेश हेतु वर्ष 2015 या उसके बाद की किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही अर्ह होंगे। वर्ष 2021 में बी0ए0 परीक्षा में सम्मिलित छात्र भी आवेदन पत्र दे सकते हैं। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का अभ्यर्थियों का बी0ए0 स्तर पर 40 प्रतिशत या उससे अधिक अंको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु अंक सम्बन्धी अनिवार्यता नहीं है।

एम0एस0-सी0 (भौतिक विज्ञान) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश:

स्नातकोत्तर भौतिक विज्ञान में प्रवेश हेतु वर्ष 2015 या उसके बाद की किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही अर्ह होंगे। वर्ष 2021 में स्नातक परीक्षा में सम्मिलित छात्र भी आवेदन पत्र दे सकते हैं। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का अभ्यर्थियों का स्नातक स्तर पर 40 प्रतिशत या उससे अधिक अंको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु अंक सम्बन्धी अनिवार्यता नहीं है। स्नातकोत्तर भौतिक विज्ञान में प्रवेश हेतु स्नातक तृतीय वर्ष में भौतिक विज्ञान विषय होना अनिवार्य है।

एम0एस0-सी0 (बायोटेक्नोलोजी) पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश:

स्नातकोत्तर बायोटेक्नोलोजी में प्रवेश हेतु वर्ष 2015 या उसके बाद की किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही अर्ह होंगे। वर्ष 2021 में स्नातक परीक्षा में सम्मिलित छात्र भी आवेदन पत्र दे सकते हैं। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का अभ्यर्थियों का स्नातक स्तर पर 40 प्रतिशत या उससे अधिक अंको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु अंक सम्बन्धी अनिवार्यता नहीं है। स्नातकोत्तर बायोटेक्नोलोजी में प्रवेश हेतु स्नातक तृतीय वर्ष में जीवविज्ञान अथवा गणित विषय होना अनिवार्य है।

नोट – सिद्धार्थ विश्वविद्यालय परिसर में छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है।